भारतीय गैर न्यायिक

बीस रुपये

Rs.20

रु.20

TWENTY RUPEES

INDIA

INDIA NON JUDICIAL

उत्तर प्रदेश UTTAR PRADESH 6 38AA 958449

5. ट्रस्ट के प्रबन्ध कार्यकारिणी पदाधिकारियों एवं सदस्यों के नाम व पते जिनको ट्रस्ट के नियमानुसार कार्यभार सौंपा गया है।

1.अध्यक्ष-बृजराज सिंह पुत्र स्व0 श्री भीम सिंह निवासी- बजरंग बिहार कॉलौनी, काली बगीची भरतपुर (राज0)-321001 मो0 941867199

2.सचिव- जीतेश कुमार पुत्र स्व0 भीम सिंह निवासी वार्ड न0 14 बजरंग बिहार कॉलौनी भरतपुर राज0 मो0 8006100004।

3.कोषाध्यक्ष-श्रीमती सन्नी गुर्जर पत्नी श्री बृजराज सिंह निवासी- बजरंग बिहार कॉलौनी काली बगीची भरतपुर (राज0)-9350442130।

4.सदस्य-श्रीमती विमलेश कुमारी पत्नी जीतेश कुमार निवासी वार्ड न0 14 बजरंग बिहार कॉलौनी भरतपुर राज0 मो0 9352692178।

5.सदस्य-कुलवंत सिंह पुत्र स्व0 भीम सिंह निवासी- गॉवडी, चिकसाना, भरतपुर (राज0) 8285863354।

भारतीय गैर न्यायिक

दस रुपये रु.10

TEN RUPEES Rs.10

INDIA

INDIA NON JUDICIAL

उत्तर प्रदेश UTTAR PRADESH 81AD 676864

सदस्ता के वर्ग-

(अ) आजीवन सदस्यः- ट्रस्ट को 5000/-रू0 सहयोग राशि देने वाला व्यक्ति ट्रस्ट का आजीवन सदस्य कहलायेगा जिसे प्रबन्ध समिति की बैठक में सलाह देने का अधिकार होगा परन्तु मूल नीति निर्धारण मूल ट्रस्टी ही करेगें।

(ब) विशिष्ठ सदस्य ट्रस्टीः- सामाजिक गतिविधियों में विशेष योगदान देने वाले, प्रतिष्ठित व किसी क्षेत्र के विषय विशेषज्ञ व्यक्ति को विशिष्ठ सदस्य ट्रस्टी बनाया जा सकेगा जो ट्रस्ट को 1100/-रू0 दान स्वरूप देगा।

(स) सामान्य सदस्य ट्रस्टीः- कोई भी वयस्क व्यक्ति लिखित आवेदन करने पर मूल ट्रस्टीयों की सर्वसम्मति से सामान्य सदस्य ट्रस्टी बन सकता है। सदस्यता शुल्क 500/-रू0 द्विवार्षिक देय होगा।

भारतीय गैर न्यायिक

बीस रुपये Rs.20

रु.20 TWENTY RUPEES

भारत INDIA

INDIA NON JUDICIAL

उत्तर प्रदेश UTTAR PRADESH 38AA 958450

6.सदस्य-मातादीन पुत्र मटरूमल निवासी- जी.टी रोड मनियाँ धौलपुर (राज0) मो0 9887720115।

6.सदस्यता-(अ) मूल छः ट्रस्टियों में से एक सदस्य की मृत्यु हो जाने या न्यायालय के आदेश के कारण इस्तीफा दिये जाने की स्थिति में ट्रस्टी का कानूनी वारिश तथा पुत्र/पुत्री/ पत्नी/पति या ट्रस्टी द्वारा नामित व्यक्ति उनका स्थान ग्रहण करेगा।

(ब) मूल छः ट्रस्टियों के बहुमत से आजीवन ट्रस्टी को छोडकर किसी प्रकार का नया ट्रस्टी दो वर्ष की अवधि के लिए बनाया जा सकता है। जो प्रवेश के समय 1000/-रू0 दान देगा। इस वर्ग के ट्रस्टियों को केवल सलाह देने का अधिकार होगा तथा दो वर्ष की अवधि के उपरान्त स्वतः ही इनकी सदस्यता समाप्त हो जायेगी और एक वर्ष छोडकर मूल दो ट्रस्टियों की सहमति से पुनः ट्रस्ट को 1000/-रू0 दान स्वरूप देने पर ट्रस्टी बनाया जा सकता है।

उत्तर प्रदेश UTTAR PRADESH 10 81AD 676866

9. ऑडिट व्यवस्थाः- ट्रस्ट के खाते जलत पडने पर प्रत्येक वर्ष किसी सी०ए० से ऑडिट कराये जायेगें जिसका दायित्व सचिव ट्रस्ट का होगा।

10. ट्रस्टियों के अधिकार एवं कर्तव्यः-

अध्यक्ष ट्रस्टीः- प्रत्येक सभा की अध्यक्षता करेगा ट्रस्ट हितों की रक्षा करेगा। तथा ट्रस्ट हित में अन्य ट्रस्टियों के साथ अधिकारियों से मिलेगा।

सचिव ट्रस्टीः- एजेन्डा घुमाएगा, कार्यवाही लिखेगा, ट्रस्ट हितों की रक्षा करेगा, ट्रस्ट रिकॉर्ड को सुरक्षित रखेगा ट्रस्ट की ओर से तमाम पत्र व्यवहार करेगा, ट्रस्ट कार्यों को चलाने के लिये कर्मचारियों एवं स्टाफ की नियुक्ति करेगा, उनके कार्यों की देखभाल करेगा, वेतन निर्धारण, वेतन कटौती, अवकाश स्वीकार करना, कर्मचारियों हटाना, तमाम बिलों का भुगतान करना, ट्रस्ट की चल-अचल सम्पत्ति का मालिकाना हक सचिव का होगा। ट्रस्ट के सभी पदाधिकारियों अध्यक्ष कोषाअध्यक्ष एवं सभी सदस्यों को हटाने का अधिकार सचिव के पास

उत्तर प्रदेश UTTAR PRADESH

11

81AD 676867

होगा। ट्रस्ट के समस्त आवश्यक दस्तावेजों पर हस्ताक्षर करने का अधिकार सचिव का होगा

कोषाध्यक्ष ट्रस्टी:- प्राप्त धन की रसीद बनेगा धन को सुरक्षित रखेगा। धन बैंक में जमा करेगा। समय-समय पर आतों का ऑडिट करायेगा।

सदस्य ट्रस्टी:- ट्रस्ट को कार्यों के संचालन में सहयोग प्रदाव करना।

11. **ट्रस्ट सभा की कार्यवाही:-** ट्रस्ट सभा प्रबन्धन समिति के चार सदस्यों की उपस्थिति में शुरू हो सकेगी सभा जरूरत पड़ने पर कभी भी बुलाई जा सकती है मूल ट्रस्टी के अतिरिक्त ट्रस्ट विरोधी कार्य करने वाले अन्य ट्रस्टी की सदस्यता पर शेष मूल ट्रस्टी बहुमत से निर्णय लेगें। अध्यक्ष व सचिव ट्रस्टी का निर्णय सर्वमान्य होगा।

उत्तर प्रदेश UTTAR PRADESH 12 B1AD 676868

12. सदस्यता समाप्ति:- (अ) ट्रस्टी की मृत्यु होने पर त्याग पत्र देने पर, अवध करने पर अनैतिक कार्य करने पर, किसी न्यायालय द्वारा दण्डित होने पर अथवा द्वारा शेष मेल ट्रस्टियों की सदस्यता समाप्त की जा सकेगी।

13. ट्रस्ट द्वारा अथवा उनके विरुद्ध कार्यवाही का दायित्व:- किसी भी वाद विवाद की अवस्था में अलावा, अथवा ट्रस्टी या उनके द्वारा नियुक्त कानूनी सलाहकार का दायित्व होगा।

14. ट्रस्ट का समापन:- (अ) ट्रस्टियों को लगे कि ट्रस्ट सही कार्य नहीं कर रहा है तो ट्रस्टियों भंग कर सकते हैं

(ब) यदि ट्रस्ट स्वतः समाप्त होता है तो समस्त सम्पत्तियां विशिष्ट समाज उद्देश्य वाले अन्य ट्रस्ट में समाहित हो जावेगी और यदि ट्रस्ट पर देनदारियाँ है तो सक्षम न्यायालय से इजाजत लेकर सम्पत्ति विक्रय कर देनदारियाँ अदा की जावेगी।

उत्तर प्रदेश UTTAR PRADESH 9 81AD 676865

6. नियम उपनियमों में परिवर्तनः- चूंकि मूल अभिलेख में कोई संशोधन नहीं किया जा सकता है। इसलिये समय के अनुसार संशोधन मूल ट्रस्टीयों के सर्व सम्मति से होगें जो पुष्टि के बाद स्वतः लागू माने जायेगें।

7. कोषः- ट्रस्ट के उद्देश्यों की पूर्ति के लिए ट्रस्ट द्वारा बैंक या अन्य वित्तीय संस्था से ऋण/लोन आदि के द्वारा धन प्राप्त किया जा सकता है तथा दान, चन्दा, सदस्यता शुल्क, गान्ट, भेंट आदि द्वारा भी कोष एकत्र किया जा सकेगा।

7. ट्रस्टका वित्तीय वर्षः- एक अप्रेल से 31 मार्च होगा।

8. बैंक खाते का संचालनः- ट्रस्ट का खाता किसी राष्ट्रीय कृत बैंक में अध्यक्ष, सचिव, कोषाध्यक्ष के नाम से खोला जायेगा खाते से धन का आहरण किन्हीं भी एक लोग के हस्ताक्षर से किया जा सकेगा। बैंक का खाता अकेला सचिव भी खोल सकता है। और संचालन कर सकता है।

उत्तर प्रदेश UTTAR PRADESH 14 81AD 676870

4- ट्रस्ट दान में चल व अचल सम्पत्ति प्राप्त कर सकता है। यदि ट्रस्ट के पास जरूरत से ज्यादा सम्पत्तियाँ हो जाती है। तब अध्यक्ष/सचिव ट्रस्टी, शेष मूल ट्रस्टियों की सहमति से उसको किराये अथवा पट्टे पर दे सकता है। या विक्रय कर सकता है।

5- ट्रस्ट उद्देश्य पूर्ति हेतु आवश्यकता पडने पर भूमि एवं भवन किराये अथवा पट्टे पर ले सकता है। यों क्रय-विक्रय कर सकता है। और इसके लिये किसी भी बैंक/वित्तीय संस्था से लोन/ऋण प्राप्त कर सकेगा।

ट्रस्ट की सम्पत्ति- वर्तमान में ट्रस्ट के पास कोई निजी सम्पत्ति नहीं है। और न ही ट्रस्ट का कार्यालय ट्रस्ट की निजी सम्पत्ति है।

यह ट्रस्ट नामा आज दिनांक 01.11.2019 को संस्थापक सचिव ट्रस्टी द्वारा स्वस्थ्य मनोदशा से लिखा गया है ताकि स्मरण रहे व समय पर काम आवे।

उत्तर प्रदेश UTTAR PRADESH 13 81AD 676869

16.अन्य विधान जो ट्रस्ट संचालन में आवश्यक हों:-

1- ट्रस्ट के उद्देश्यों की पूर्ति के लिये मूल ट्रस्ट सर्व सम्मति से एक वर्ष के लिये दस सदस्य तक मनोनीत कर सकते हैं जो किसी क्षेत्र के विशेषज्ञ हो या सामाजिक रूप से प्रतिष्ठित हो। ट्रस्ट सर्व सम्मति से विभिन्न क्षेत्रों में अच्छे कार्य करने वाले व्यक्ति / संस्था को समय -समय पर सम्मानित भी कर सकते है। ट्रस्ट उद्देश्य पूर्ति हेतु उप समिति का गठन कर सकती है। जो उक्त ट्रस्ट के अधीन कार्य करेगी।

2- ट्रस्ट में मूल ट्रस्टीयों के अलावा जो ट्रस्टी बनाया जावेगा उसको केवल सलाह देने का अधिकार होगा। परन्तु मूल नीति निर्धारण केवल मूल ट्रस्ट ही करेंगे।

3- ट्रस्ट में आवश्यकता पड़ने पर मूल ट्रस्टियों को पद परिवर्तन करने का अधिकार प्राप्त होगा। जो दो वर्षों के अन्तराल में किया जा सकेगा।